

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सेवा में,

निदेशक, चिकित्सा उपचार
चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय
उ०प्र०, लखनऊ ।

संख्या विनिधि/सो/ 4440

लखनऊ दिनांक 2-5-2011

विषय:- नर्सिंग कर्मियों के वेतन निर्धारण के संबंध में ।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक 195/4606 दिनांक 27-4-11

का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें । इस संबंध में कहना है कि शासनादेश दिनांक 4-5-2010 द्वारा समयमान वेतनमान को पूर्व व्यवस्था दिनांक 30-11-08 तक प्रभावी है । समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त लाभ स्वीकृति किये जाने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी को है इस स्तर से किसी संघीय विषय के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के संबंध में कोई निर्देशा निर्गत किया जाना संभव नहीं है । वेतन निर्धारण के संबंध में सेवा पुस्तिका के साथ प्रकरण प्राप्त होने पर उसके परीक्षण किया जा सकता है ।

शासनादेश दिनांक 13-1-2011 द्वारा नर्सिंग संघों के कर्मियों के वेतन का उच्चीकरण दिनांक 1-1-06 से किया गया है । उक्त दिनांक को अनुमत्य वेतनमान के साक्षर वेतन पैग्ड व ग्रेड वेतन में वेतन का निर्धारण शासनादेश दिनांक 8-12-08 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । दिनांक 1-1-06 तथा उसके पश्चात् वेतनमान उच्चीकरण होने पर वेतन का निर्धारण शासनादेश 24-12-09 के प्रस्तर-2 व 3 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा तदनुसार उसके अग्रे सेवा अधि के आधार अन्य लाभ अनुमत्य होंगे । स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त कर्मों का पुनरोचित वेतन पैग्ड 9300-34800 व ग्रेड वे 4600 में दिनांक 1-1-06 को वेतन 12540/- व ग्रेड वेतन 4600 कुल योग 17140/- से कम स्तर पर नहीं निर्धारित किया जायेगा ।

कृपया तदनुसार अपने स्तर से घटावश्यक निर्देशा निर्गत करें । आपके उपर्युक्त पत्र के साथ प्राप्त समस्त पत्र वापस प्रेषित किया जा रहा है ।

भाषकीय,


विजय बहादुर सिंह ।
वित्त नियंत्रक

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 19फ/उप०/एशो०/०८-०९/६१५३-६० लखनऊ: दिनांक 26/05/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या:-दिनिवि/सी/4448, दिनांक 02/05/2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार नर्सिंग संवर्ग के अन्य कर्मियों के भी वेतन निर्धारण हेतु अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये।

1. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, पुरुष/महिला चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/यू०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर/ए०एच०एम० चिकित्सालय, कानपुर/एस०एन० मेडिकल कालेज चिकित्सालय, आगरा/ वी०आर०बी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर/एम०एल०बी० चिकित्सालय, झाँसी/एस०बी०पी० चिकित्सालय, मेरठ/एस०आर०एम० चिकि०, इलाहाबाद/जी०एस०वी०एम० चिकित्सालय, कानपुर, निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, ओपेक चिकि०, कैली, बस्ती।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, के०पी०एम० चिकित्सालय कानपुर/हृदय रोग संस्थान, कानपुर/जे०के० कैंसर संस्थान, कानपुर/टी०बी० सपू चिकित्सालय, इलाहाबाद/एस०एस०पी०जी० चिकित्सालय, वाराणसी/एम०एल०एम० चिकित्सालय, इलाहाबाद/डा० एस०पी०एम० चिकित्सालय, लखनऊ/आर०एम०एल० चिकित्सालय, गोमतीनगर, लखनऊ/टी० बी० क्लीनिक, अकुरुगंज, लखनऊ।
6. अधीक्षक, के०जी०एम०यू०, लखनऊ।
7. प्रमुख अधीक्षक, टी०बी० चिकित्सालय(समस्त) एवं समस्त संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कोषाधिकारी, उ०प्र०।

(शीभनोय)
निदेशक(चिकित्सा उपचार)